



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ उदयपुर में थाना प्रतापनगर पदस्थापित सुनील विश्नोई, एसआई 1,00,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 17 मई, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, के निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी, उदयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना प्रतापनगर में पदस्थापित सुनील विश्नोई, सहायक उप निरीक्षक को कुल 1,00,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर को दिनांक 09.05.2026 को शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की एक युवती से साधारण नोकझोंक के मामले में थाना प्रतापनगर के सुनील विश्नोई एसआई, शंकरलाल कानिस्टेबल एवं बनवारीलाल कानिस्टेबल द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाकर युवती द्वारा छेड़छाड़ एवं बलात्कार की रिपोर्ट देना बताते हुए प्रकरण दर्ज नहीं करने एवं दोनों पक्षों में राजीनामा करवाने के नाम पर 03 लाख रूपयों की मांग की जा रही है। परिवादी द्वारा हाथाजोड़ी करने पर अंतिम रूप से 1,30,000/- रूपयों की मांग तय की गयी है। उक्त शिकायत का ब्यूरो चौकी, उदयपुर की टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया तो सुनील विश्नोई, एसआई द्वारा सत्यापन के दौरान 25,000/- रुपये नकद प्राप्त किये गये एवं 5,000/- रुपये की मांग कम करते हुए शेष 1,00,000/- रुपये का शीघ्र इंतजाम कर उपलब्ध करवाये जाने के लिए कहा गया।

इस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण में कार्यवाही करते हुए आज अति. पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर द्वारा उदयपुर की टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुए ऑर्बिट रिसोर्ट, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर की कार पार्किंग से सुनील विश्नोई एसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर को परिवादी से 1,00,000/- रूपयों की रिश्वत की राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस परिमला के निर्देशन में गिरफ्तारशुदा आरोपी सुनील विश्नोई एसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर से विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम अनुसंधान जारी है।

साथ ही सुनील विश्नोई, एसआई, थाना प्रतापनगर, उदयपुर के रिहायशी मकान की